न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान :
पीठासीन अधिकारी :– रामसिंह राजावत (R.A.S.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	अन्तिम पर्चा डिक्री दिनांक
186 / 2017	17.07.2017	22.09.2020

उनवान

1 देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री सोहनलाल
2 सोहनलाल पुत्र श्री गुटटन
3 मक्खनलाल पुत्र गुरदयाल जातियान चमार निवासी बडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–: वादी

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र छुटटन
2. शिवचरण पुत्र छुटटन (फौत)
   2/1 भगवानी देवी बेवा
   2/2 सुषमा देवी पुत्री
3. बसन्ती पुत्र गुरदयाल जातियान चमार निवासी बडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
4. नवलसिंह पुत्र श्री टहलसिंह निवासी बडी तहसील मुण्डावर।
   4/1 विजयन्द्र सिंह
   4/2 आत्मा सिंह
   4/3 कश्मीर सिंह पुत्रान नवलसिंह निवासी बडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
5. जोगेन्द्र सिंह पुत्र नवल सिंह
6. बीरा सिंह पुत्र नवलसिंह जातियान सिख निवासी बडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर।

–: प्रतिवादीगण

दावा 53 व 188 राज0 कास्त0 अधि0 1955

–: अन्तिम पर्चा डिक्री :–

वादी की ओर से **श्री सरजीत सिंह चौधरी एडवोकेट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण की ओर से **श्री महेश यादव, बस्तीराम यादव एडवोकेट** की उपस्थिति में इस वाद में **आज दिनांक 22.09.2020** को **श्री रामसिंह राजावत, उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है **और अन्तिम पर्चा डिक्री दी जाती है**:–

" उपरोक्त विवेचन के आधार पर हाल आराजी खसरा नम्बर 555 रकबा 1.24 है0 वाके ग्राम बडी तहसील मुण्डावर के बाबत वादी सं0 01 व वादी संख्या 02 को खसरा नम्बर 555/2 रकबा 0.11 है0 का सम्भाग में खातेदार तथा वादी संख्या 03 एवं प्रतिवादी संख्या 03 को 555/1 रकबा 0.06 है0 का क्रमशः 4/20 भाग एवं 1/20 भाग का खातेदार तथा प्रतिवादी संख्या 1 एवं शिवचरण के वारिसान प्रतिवादी संख्या 2/1 व 2/2 को खसरा नम्बर 555/3 रकबा 0.05 है0 का क्रमशः 1/2 भाग एवं 1/4, 1/4 भाग के खातेदार तथा प्रतिवादी संख्या 4/1, 4/2, 4/3 को आराजी खसरा नम्बर 555/4 रकबा 1.02 है0 का सम्भाग मे 1/2 भाग के एवं प्रतिवादी संख्या 5 व 6 को सम्भाग में 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुरूप ही हाल राजस्व रिकार्ड मे [illegible] किया जावें। प्रतिवादीगण को हुक्म इम्तानाई दवामी से सदैव–सदैव के लिए पाबन्द किया [illegible] वे वादीगण के उपरोक्तानुसार मिलने वाले हिस्से, रकबे, आराजी मे किसी [illegible] वाद शीर्षक एवं प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव **"प्रदर्श–अ"** अन्तिम [illegible] एवं अन्तिम पर्चा [illegible] के अभिन्न अंग रहेगें। पक्षकारान् अपना अपना खर्चा वहन करेगे।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 22.09.2020 [illegible] कर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.03 10:04:58 IST
Reason: Self Attested

22/9/2020

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर राज0

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

11/11/20 आज प्रार्थनापत्र धारा 152 ज़ा. दी. वकील (होकर) पेश हुई।
उपरोक्त डिक्री के 4/20 के बजाय 4/5 भाग एवं 1/20 भाग के बजाय 1/5 भाग पढा जावे शेष अन्तिम पर्चा डिक्री पूर्ववत: यथावत रहेगी

11.11.2020

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0